फोनः-4103333, 2362400 फैक्सः-0141-2373513 वर्षः 76 संख्याः 306 प्रभात जयपुर, मंगलवार 9 जून, 2026 डाक पं.सं. जयपुर सिटी/001/2021-23 पृष्ठ 8 मूल्य 2.75 रु.

ARBiT

जयपुर • कोटा • बीकानेर • उदयपुर • अजमेर • जालोर • हिण्डौनसिटी • चूरू

epaper.rashtradoot.com

राष्ट्रदूत

Metro

Rashtradoot

The Clothes That Make An Emperor

The Emperor was offering himself up as an object of worship, giving the people a darsan or "auspicious sight" of their sovereign, who is clad in three layers of pearl necklaces, earrings, turban, and a lungi: the apparel of a Hindu deity

Indianisation Of Mughal Durbar

टीएमसी के 20 सांसदों ने अलग गुट बनाकर एनडीए को बाहर से समर्थन दिया

20 सांसदों ने दो घंटे लंबी वार्ता के बाद यह निर्णय किया और स्पीकर को इससे अवगत कराया

-अंजन रॉय-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 8 जून। राज्य विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद, जब तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी विपक्षी गठबंधन में अपनी नई भूमिका तलाशने की कोशिश कर रही थीं, तभी उनकी पार्टी के अधिकांश सांसदों ने राष्ट्रीय संसद में अपनी अलग स्वतंत्र भूमिका निभाने के लिए अलग समूह बना लिया।

- यह निर्णय भाजपा के बेहद माफिक रहेगा, खासकर कई महत्वपूर्ण बिल पारित कराने में एनडीए सरकार को मदद मिलेगी।
- पर, भाजपा को इससे एक और बड़ा लाभ मिला है, अब उसे तृणमूल के विद्रोही सांसदों से सीधा सरोकार नहीं रखना पड़ेगा, क्योंकि प. बंगाल में इनकी छवि दागदार है, भ्रष्टाचार, सैक्स रैकेट चलाने जैसे गंभीर आरोप हैं इन पर, अगर भाजपा इन्हें साथ लेती है तो उसे भारी शर्मिंदगी उठानी पड़ सकती है।
- बागी सांसदों ने काकोली घोष दस्तीदार को अपने गुट का चीफ व्हिप बनाया है, यह पोस्ट ममता बनर्जी ने खत्म कर दी थी।

लोकसभा में तृणमूल कांग्रेस के 29 सांसदों में से 20 सांसदों ने ममता बनर्जी से अलग रास्ता अपनाने का फैसला किया। उन्होंने काकोली घोष दस्तिदार को पार्टी का मुख्य सचेतक (चीफ व्हिप) चुना। ममता बनर्जी ने उन्हें बिना किसी औपचारिक प्रक्रिया के इस पद से तुरंत हटा दिया था।

पार्टी के सांसदों ने, बंगाल चुनावों में सक्रिय भूमिका निभा चुके भाजपा के एक वरिष्ठ नेता के आवास पर दो घंटे तक बैठक की। बैठक में अलग होने वाले सांसदों की रणनीति तय की गई। प्रारंभिक रूप से यह निर्णय लिया गया कि एक नया समूह बनाया जाएगा, जो बाहर से एनडीए को समर्थन देगा।

यह काकोली के लिए बड़ी सफलता मानी जा रही है, क्योंकि अब उनके साथ 20 सांसद हैं और यह संख्या आगे बढ़ने की संभावना है।

एनडीए के साथ तालमेल की रणनीति तैयार करने का श्रेय काकोली घोष दस्तिदार को दिया जा रहा है। सबसे आश्चर्यजनक बात यह रही कि काकोली ने असंतुष्ट सांसदों को एकजुट किया। वे पिछले चालीस वर्षों से ममता बनर्जी की सबसे करीबी राजनीतिक सहयोगियों में से एक रही थीं।

काकोली ने सार्वजनिक रूप से कहा कि वे नैतिक कारणों से ममता बनर्जी से पूरी तरह अलग हो रही हैं। उनका आरोप था कि ममता सरकार के कामकाज से गंभीर नैतिक प्रश्न जुड़े हुए हैं। काकोली ने लोकसभा अध्यक्ष को पत्र लिखकर 20 सांसदों के समर्थन की जानकारी भी दी।

भाजपा के लिए यह स्थिति बेहद लाभकारी मानी जा रही है। तृणमूल कांग्रेस से अलग हुए सांसदों के साथ इससे बेहतर समझौता शायद संभव नहीं था। महत्वपूर्ण विधेयकों पर भाजपा को 20 या उससे अधिक सांसदों का समर्थन मिल सकता है, जो उसके लिए बड़ी ताकत साबित होगा। साथ ही भाजपा को, तृणमूल कांग्रेस के उन सांसदों का बोझ नहीं उठाना पड़ेगा, जिनकी साख काफी हद तक कम हो चुकी है।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

पूर्व आईएएस सुबोध अग्रवाल की जमानत अर्जी खारिज

जयपुर, 8 जून। एसीबी मामलों की विशेष अदालत क्रम-2 ने जल जीवन मिशन घोटाले से जुड़े मामले में आरोपी तत्कालीन अतिरिक्त मुख्य जलदाय सचिव सुबोध अग्रवाल की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया है। पीठासीन अधिकारी राजेश कुमार दडिया ने अपने आदेश में कहा कि इरकॉन कंपनी की ओर से ईमेल प्राप्त होने के बाद भी आरोपी ने मिलीभगत कर ठेका फर्म को अनुचित लाभ पहुंचाया, इसलिये उसे जमानत का लाभ नहीं दिया जा सकता।

जमानत अर्जी में कहा गया कि पीएचईडी में साल 2021 से 2023 तक श्री गणपति ट्यूबवेल और श्री श्याम ट्यूबवेल को 104 टेंडर न्यूनतम बोली दाता होने के नाते दिए गए थे। इनमें से जो टेंडर पांच करोड़ रुपए तक थे, उन्हें चीफ इंजीनियर के स्तर पर ही निपटा दिया गया था। वहीं पांच करोड़ से अधिक कीमत के 37 टेंडर में से 33 टेंडर प्रार्थी से पूर्व पदस्थापित अधिकारी ने अनुमोदित कर दिए थे। केवल चार टेंडर के कार्य आदेश प्रार्थी ने वित्त समिति के माध्यम से अनुमोदित किए

- एसीबी मामलों की विशेष अदालत ने जल जीवन मिशन घोटाले में आरोपी अग्रवाल को जमानत का लाभ देने से मना किया।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

इंडिया ब्लॉक की मीटिंग में ममता बेहद थकी और कमज़ोर नज़र आईं

इंडिया ब्लॉक की मीटिंग अनुपस्थित दलों व नेताओं की वजह से ज्यादा चर्चा में रही

-श्रीनंद झा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 8 जून। इंडिया ब्लॉक की आज की बैठक में उपस्थित नेताओं से ज्यादा चर्चा अनुपस्थित नेताओं की हुई। पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी शामिल हुईं, लेकिन मौजूदा हालात में वे अपने पुराने व्यक्तित्व की सिर्फ परछाई जैसी लगीं, क्योंकि बताया जा रहा है कि 20 टीएमसी सांसदों ने सीधे भाजपा में शामिल होने के बजाय, संसद में अलग गुट बनाने का निर्णय लिया है।

- कॉन्स्टीट्यूशन क्लब में 23 गैर एनडीए पार्टियों की बैठक कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में शुरु हुई। मीटिंग में डीएमके और आप ने हिस्सा नहीं लिया। आप पहले ही इंडिया ब्लॉक छोड़ चुकी है और अब द्रमुक भी अलग हो गई है, साथ ही सीपीएम भी नाराज़ है।
- बैठक से पहले कॉन्स्टीट्यूशन क्लब के आसपास इंडिया ब्लॉक विरोधी पोस्टर देखे गए।
- बैठक में गठबंधन के नेतृत्व के मुद्दे पर कोई चर्चा नहीं हुई, पर, एनडीए सरकार के खिलाफ संघर्ष के लिए 5 बिंदुओं पर सहमति बनी।

23 गैर-एनडीए पार्टियों के नेताओं की मीटिंग कांग्रेस अध्यक्ष एम मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में संविधान क्लब में हुई और बताया जाता है कि भाजपा को चुनौती देने के लिए पाँच बिन्दुओं पर सहमति बनी। लेकिन विपक्षी समूह में मौजूद दरारें और लंबित विवाद स्पष्ट दिखाई दिए। आप और द्रमुक बैठक में शामिल नहीं हुए। द्रमुक इस बात पर नाराज़ है कि तमिलनाडु चुनाव के बाद कांग्रेस ने उसके साथ गठबंधन समाप्त कर दिया। इसके साथ ही, सीपीएम भी नाराज़ है, क्योंकि कांग्रेस ने केरल चुनावों के प्रचार के दौरान उसकी कड़ी आलोचना की।

बैठक से पहले, बैठक स्थल तथा उसके आसपास इंडिया ब्लॉक विरोधी पोस्टर देखे गए, जिनमें ममता बनर्जी, पिनाराई विजयन और शरद पवार जैसे नेताओं के बयान शामिल थे। पोस्टरों में एक साझा टैगलाइन थी, जो इंडिया ब्लॉक की एकजुटता पर सवाल उठा रही थी। जहाँ यह संदेह है कि ये पोस्टर भाजपा के कार्यकर्ताओं ने लगाए हों, वहीं विपक्षी ब्लॉक के लिए संदेश स्पष्ट रूप से सकारात्मक नहीं था।

यदि बैठक का उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रीय पार्टियों के बीच विवाद या शत्रुता को खत्म करना था, तो यह उद्देश्य पूरी तरह सफल होता दिखाई नहीं दिया। इंडिया ब्लॉक के नेताओं ने कुछ व्यापक मुद्दों पर सहमति बनाई: शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान से इस्तीफे की सामूहिक मांग और मतदाता सूचियों के विशेष गहन संशोधन (एसआईआर) से जुड़ी चिन्ताओं के संबंध में मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखने का निर्णय। लेकिन समूह के नेतृत्व और राष्ट्रीय स्तर पर रैलियों और प्रदर्शन आयोजित करने के योजनाओं पर चुप्पी रही।

फिर भी एक सकारात्मक संकेत जरूर मिला-एनडीए के खिलाफ

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

नीट पेपर बनाने वालों को पूर्ण ''आइसोलेशन'' में रखा गया है

तकरीबन 20 दिन पहले कुछ टीचर्स और विषय के विशेषज्ञों की टीम बनाई गई थी, तब से वे किसी के सम्पर्क में नहीं हैं, उन्हें फोन या इन्टरनैट की सुविधा भी नहीं दी गई है

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 8 जून। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) ने 21 जून को होने वाले नीट री-एग्जाम के लिए सुरक्षा उपायों को काफी कड़ा कर दिया है, ताकि परीक्षा या प्रश्नपत्र सुरक्षा में किसी भी प्रकार के उल्लंघन को रोका जा सके। यह कदम 3 मई की परीक्षा को देशभर में रद्द करने के बाद उठाया गया, जब पेपर लीक के आरोप लगे थे, जिससे 22 लाख से अधिक छात्रों में व्यापक चिंता उत्पन्न हुई और परीक्षा प्रक्रिया की सत्यनिष्ठा पर सवाल उठे।

- नैशनल टैस्टिंग एजेंसी ने नीट एग्ज़ाम के प्रश्न पत्रों की सुरक्षा के लिए भारी व्यवस्था की है। टीचर्स और एक्सपर्ट्स की जिस टीम को आइसोलेशन में रखा गया है, वह 21 जून को पेपर हो जाने तक किसी से भी संपर्क नहीं कर सकेगी।
- प्रश्न पत्र के ट्रांसपोर्टेशन के लिए भारतीय वायु सेना के विमानों का इस्तेमाल किया जाएगा, इसके अलावा परीक्षा ड्यूटी के लिए 5 लाख सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए हैं।
- एनटीए ने एआई से चलने वाले सर्विलांस कैमरा लगाए हैं तथा सोशल मीडिया पर भी निगरानी बढ़ा दी है।

एनटीए द्वारा भारतीय वायु सेना से भी मदद मांगी गई है, ताकि प्रश्नपत्र हेलीकॉप्टरों के जरिए पहुंचाए जा सकें। प्रश्नपत्र तैयार करने की प्रक्रिया को अभूतपूर्व सुरक्षा के तहत रखा गया है। लगभग 20 दिन पहले प्रश्न पत्र तैयार करने के लिये शिक्षकों और विषय विशेषज्ञों की एक टीम बनाई गई थी। तब से उन्हें पूरी तरह से आइसोलेशन में रखा गया है, फोन या इंटरनेट तक उनकी पहुँच नहीं है और बाहरी दुनिया से भी न्यूनतम संपर्क है।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

विशाखापत्तनम स्टील प्लांट में आग से आठ श्रमिकों की मौत

हैदराबाद, 08 जून। आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम स्थित स्टील प्लांट में सोमवार को हुए भीषण हादसे में अब तक आठ श्रमिकों की मौत हो चुकी है, जबकि कई अन्य घायल बताए जा रहे हैं।

जानकारी के अनुसार, प्लांट की एसएमएस-2 यूनिट में उस समय दुर्घटना हुई, जब गर्म धातु की बाल्टियां (लैडल्स) गिरने के कारण पिघला हुआ स्टील लीक हो गया। इसके बाद यूनिट में भीषण आग भड़क उठी, जिसकी चपेट में कई श्रमिक आ गए।

- गर्म धातु की बाल्टियां गिरने से पिघला हुआ स्टील लीक हो गया और भीषण आग लग गई।

प्रारंभिक रिपोर्ट में बताया गया है कि कई श्रमिक गंभीर रूप से झुलस गए हैं, जबकि कुछ के यूनिट के भीतर फंसे

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

अमेरिका-इज़रायल को कुछ सफलताएं मिलीं, पर निर्णायक जीत नहीं

अमेरिका-इज़रायल के साथ युद्ध में ईरान अपने बचे रहने को ही अपनी जीत मान रहा है

-सुकुमार साह-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 8 जून। संयुक्त राज्य अमेरिका और इज़रायल द्वारा ईरान पर सैन्य अभियान शुरू किए जाने के सौ दिन बाद, यह टकराव एक ऐसे गतिरोध में बदल गया है, जिसमें कोई स्पष्ट विजेता नहीं है। जिसे शुरु में एक छोटी और निर्णायक मुहिम माना जा रहा था, वह अब मिसाइल हमलों, आर्थिक व्यवधान, कूटनीतिक गतिरोध और बढ़ती क्षेत्रीय अस्थिरता के बीच लंबा संघर्ष बन गया है। अप्रैल में की गई युद्धविराम की घोषणा के बावजूद, छुटपुट हमले जारी हैं और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण हॉर्मुज़ स्ट्रेट अब भी काफी हद तक बाधित है।

- ईरान-यूएस वॉर के 100 दिन पूरे हो चुके हैं और अभी तक युद्ध खत्म नहीं हुआ है। इस जंग से सबसे बड़ा नुकसान मिडिल ईस्ट देशों को हुआ है। यहाँ हजारों नागरिक मारे जा चुके हैं, आर्थिक गतिविधियाँ थम गई हैं।
- वैश्विक अर्थव्यवस्था पर भी जंग का प्रभाव पड़ा है। हॉर्मुज़ स्ट्रेट अवरुद्ध होने से विश्व भर में तेल व ऊर्जा की आपूर्ति व्यवस्था बिगड़ी है।
- भारत पर भी इस जंग का बड़ा भारी असर हुआ है। तेल की कीमतें बढ़ने से महंगाई बढ़ी है और करैन्ट अकाउन्ट डैफिसिट भी बढ़ सकता है। इसके अलावा भारत के लाखों लोग खाड़ी देशों में काम करते हैं, इनकी सुरक्षा भी एक बड़ा प्रश्न है।

संयुक्त राज्य अमेरिका और इज़रायल ने कुछ सामरिक सफलताएँ हासिल की हैं, लेकिन निर्णायक जीत नहीं। उनके प्रारंभिक उद्देश्य, ईरान के परमाणु कार्यक्रम को कमज़ोर करना, उसकी मिसाइल क्षमताओं को घटाना और तेहरान के क्षेत्रीय प्रभाव को कम करना था। महत्वपूर्ण मिलिटरी इन्फ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचा है, और ईरानी नेतृत्व को गंभीर क्षति हुई है। हालांकि, ईरान की राज्य संरचना (स्टेट स्ट्रक्चर) अब भी अडिग है, उसकी सेना काम कर रही है, और उसकी मिसाइल क्षमता समाप्त नहीं हुई है।

इसी बीच, ईरान खुद के बचे रहने को ही जीत मानता है। लगातार बमबारी, प्रतिबंध और कूटनीतिक दबाव के बावजूद, शासन ढह नहीं सका। तेहरान मिसाइल और ड्रोन हमले जारी रखे हुए है, क्षेत्रीय सहयोगियों के माध्यम से अपना प्रभाव बनाए हुए है और उसने वैश्विक एनर्जी मार्केट में व्यवधान पैदा करने की अपनी क्षमता का प्रदर्शन किया है। ईरान के दृष्टिकोण से, संयुक्त राज्य अमेरिका और इज़रायल की संयुक्त सैन्य ताकत के खिलाफ केवल जीवित बने रहना ही एक रणनीतिक उपलब्धि है।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

फिलिपींस में 7.8 तीव्रता के भूकंप ने तबाही मचाई

मनीला, 08 जून। फिलीपींस के दक्षिणी हिस्से में सोमवार सुबह आए 7.8 तीव्रता के शक्तिशाली भूकंप ने भारी तबाही मचा दी। इसमें कम से कम 19 लोगों की मौत हो गई, जबकि 134 लोग घायल हुए हैं। कई इमारतों को नुकसान पहुंचा है और कुछ ढ ह गई हैं। भूकंप के बाद पूरे एशिया में सुनामी की चेतावनी जारी की गई थी, जिसे बाद में अधिकांश क्षेत्रों के लिए वापस ले लिया गया।

- 19 लोगों की मौत हुई, 134 घायल हुए, पूरे एशिया में सुनामी की चेतावनी।

फिलीपींस की सरकारी समाचार संस्था फ़िलिपीन न्यूज़ एजेंसी और यूनाइटेड स्टेट्स जियोलॉजिकल सर्वे के अनुसार भूकंप सोमवार सुबह मिंडानाओ में द्वीप के पास आया। फ़िलिपीन इंस्टीट्यूट ऑफ़

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

राजस्थान पुलिस में पदोन्नति व वैकेंसी प्रकरण में हाईकोर्ट ने अपने 9 साल पुराने फैसले का रिव्यू किया

वर्ष 2009 से चल रहे इस प्रकरण पर हाईकोर्ट की खंडपीठ अब जुलाई माह में पुनः सुनवाई करेगी

-कार्यालय संवाददाता-

जयपुर, 8 जून। राजस्थान हाईकोर्ट की खंडपीठ ने राजस्थान पुलिस सर्विस में सब इंस्पेक्टर से इंस्पेक्टर तथा इंस्पेक्टर से ऊपरी पदों पर वैकेंसी निर्धारित करने और पदोन्नति से इन पदों को भरने से जुड़े मामले में 9 वर्ष बाद अपना फैसला वापस लिया है। कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश एस.पी.शर्मा और न्यायाधीश आशुतोष कुमार की खंडपीठ ने कहा है कि वर्ष 2017 में सुनाए गए फैसले में 12 अपीलों पर निर्णय दिया गया था, परंतु इस मामले में एकलपीठ के समक्ष 41 याचिकाएं दायर हुई थीं। अदालत ने अपने फैसले को रिव्यू करते हुए सुपीम कोर्ट के फैसलों का भी जिक्र किया। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि वर्ष 2017 में सुनाया गया फैसला 12 याचिकाओं पर सुनवाई के बाद किया गया निर्णय था, जिसमें राज्य सरकार की अपीलों के आधार पर याचिकाएं दायर हुई थीं, परंतु इसका तात्पर्य यह नहीं है कि 41 याचिकाओं में शेष बचे हुए मामलों को नज़रअंदाज़ कर दिया जाए अथवा उन्हें सुनवाई का मौका नहीं दिया जाए। ऐसे में अब हाईकोर्ट इन तमाम 41 याचिकाओं पर जुलाई माह में सुनवाई करते हुए निष्कर्ष पर पहुंचेगा, तब तक राज्य सरकार याचिकाकर्ताओं के खिलाफ दंडात्मक कार्यवाही नहीं कर सकेगी। इस मामले में अभिषेक पारीक व अन्य की ओर से हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता सुनील समदड़िया पैरवी के लिए पेश हुए थे।

- अदालत ने नाराज़गी जताते हुए कहा कि गृह विभाग और राजस्थान पुलिस द्वारा रिक्त पदों को लेकर दी जा रही जानकारियां स्पष्ट नहीं है।

ज्ञात रहे कि वर्ष 2009 से 2013 के बीच राजस्थान पुलिस सर्विसेज़ में प्रत्येक वर्ष प्रमोशन के लिए कितनी वैकेंसी निर्धारित की जाएं, इससे जुड़े मामले पहले अपीलीय अधिकरण (ट्रिब्यूनल) तथा इसके बाद हाईकोर्ट की एकलपीठ में पहुंचे थे। इस दौरान ट्रिब्यूनल ने अपने आदेश में कहा था कि राजस्थान पुलिस सर्विस में जितने पद रिक्त हैं, उन पर भर्ती करने के साथ-साथ अपेक्षित पदों पर भी भर्ती का विकल्प रखा जाए। परंतु जब यह प्रकरण हाईकोर्ट की एकलपीठ में पहुंचा तो वर्ष नवंबर-2013 में अदालत ने आदेश दिया कि सिर्फ मौजूदा रिक्त पदों पर ही भर्ती की जाए। इसके बाद प्रकरण हाईकोर्ट की खंडपीठ के समक्ष पहुंचा, जहां अदालत ने ट्रिब्यूनल के फैसले को सही ठहराते हुए रिक्त पदों के साथ-साथ अपेक्षित पदों के मुताबिक भर्ती करने का आदेश दिया। हालांकि खंडपीठ ने वर्ष 2017 में यह आदेश 41 याचिकाओं में से मात्र 12 याचिकाओं पर सुनवाई के बाद ही दिया था।

हाईकोर्ट की खंडपीठ ने गत 22 मई 2026 को अपने 9 वर्ष पुराने फैसले को रिव्यू करते हुए तमाम 41 याचिकाओं को सुनने के बाद ही फैसला देने का निर्णय लिया है। इस पर सुनवाई आगामी जुलाई माह में होगी। अदालत ने सुनवाई के दौरान कहा कि इस मामले में स्पष्ट है कि गृह विभाग और राजस्थान पुलिस के महकमे के बीच कोई स्पष्ट तालमेल नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि आर.टी.आई. में विभाग द्वारा दी गई जानकारियां और रिक्त पदों के आंकड़े अलग-अलग बताए जा रहे हैं।

अदालत ने कहा कि आर.टी.आई. में एक सब इंस्पेक्टर को गृह विभाग ने जवाब दिया कि वर्ष 2009-10 में 87 पद खाली थे। वर्ष 2010-11 में 148 पद, 2011-12 में 297, 2012-13 में 264 पद खाली बताए गए। इसी तरह किसी अन्य व्यक्ति को आर.टी.आई. में ये पद क्रमशः 43, 30 व 55 रिक्त बताए गए। इसी तरह एक अन्य व्यक्ति को 43, 309 और 55 पद खाली होने की जानकारी दी गई। इससे साफ जाहिर होता है कि गृह विभाग और राजस्थान पुलिस के बीच आंकड़ों का अंतर है, दोनों विभाग खाली पदों की स्थिति को लेकर स्पष्ट नहीं है। ऐसे में अब इस प्रकरण की पूरी सुनवाई जुलाई माह में तमाम 41 याचिकाओं को लेकर की जाएगी।

जुलाई में दस्तखत होंगे, भारत-अमेरिका ट्रेड डील पर

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 8 जून। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सोमवार को कहा कि भारत और अमेरिका के बीच लंबे समय से प्रतीक्षित व्यापार समझौते (ट्रेड डील) की पहली किस्त (फर्स्ट ट्रांच) पर जुलाई की शुरुआत में ही

- केन्द्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने यह जानकारी दी और यह भी कहा कि टैरिफ के तनाव के बाद भी दोनों देशों के बीच ट्रेड डील पर चर्चा अंतिम दौर में पहुँच गई है।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)